रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 502] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 20, 2017/ ज्येष्ठ 30, 1939
No. 502] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 20, 2017/JYAISTHA 30, 1939

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2017

सा.का.नि. 611(अ).—केन्द्रीय सरकार, विनिर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्वों की समाप्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 2) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट बैंक नोट (बैंक, डाकघर और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा निक्षेप) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **रिजर्व बैंक में विनिर्दिष्ट बैंक नोट का निक्षेप.—**(1) जहां भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3407(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 के अनुसरण में विनिर्दिष्ट बैंक नोट का,—

(क) 30 दिसम्बर, 2016 को या उसके पूर्व किसी बैंक या डाकघर द्वारा ; या

(ख) 10 नवम्बर से 14 नवम्बर, 2016 की अवधि के भीतर किसी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा,

उसके ग्राहकों से प्रतिग्रहण किया गया है वहां, यथास्थिति ऐसे बैंक, डाकघर या जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऐसे विनिर्दिष्ट बैंक नोट, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों और उस अधिसूचना के अधीन अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट बैंक नोटों को जमा न किए जाने के कारणों का रिजर्व बैंक के समाधान के अध्यधीन इन नियमों के प्रारंभ से 30 दिन की अवधि के भीतर, रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे और, यथास्थिति, ऐसे बैंक, डाकघर या जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के खाते में उसका विनिमय मूल्य प्राप्त कर सकेंगे ।

[फा. सं.10/09/2017-सी.वाई.I]

सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2017

G.S.R. 611(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Act, 2017 (2 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Specified Bank Notes (Deposit by Banks, Post Offices and District Central Cooperative Banks) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Deposit of specified bank notes with Reserve Bank.—(1) Where in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance number S.O. 3407(E), dated the 8th November, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, the specified banks notes have been accepted from their customers,—

(a) by any Bank or Post Office on or before the 30th December, 2016; or

(b) by any District Central Cooperative Bank within the period of 10th November to 14th November, 2016,

such specified bank notes may be deposited by such Bank, Post Office or District Central Cooperative Bank, as the case may be, in any office of the Reserve Bank, within a period of 30 days from the commencement of these rules, and get the exchange value thereof by credit to the account of such Bank, Post Office or District Central Cooperative Bank, as the case may be, subject to the satisfaction of the Reserve Bank of the conditions specified in the said notification and the reasons for non-deposit of the specified bank notes within the period under that notification.

[F. No. 10/09/2017-Cy.I]

SAURABH GARG, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.20 19:48:30 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.